(b) Approximately Rs. 6 lakhs.

(c) and (d). Out of nine cases, proceedings of Court of Inquiry in three cases have been finalised. Disciplinary acion has already been initiated against three employees. In the third case, final orders on the proceedings of Court of Inquiry will be passed by the concerned authority. The remaining six cases are a various stages of finalisation.

कलकत्ता में आयुध कारखानों के बोर्ड के मुख्यालय का औचित्य

9272. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में आयुध कारखानों के बोर्ड (डो०जो०ओ० एफ० एच० क्यू०) के मुख्यालय का आधार क्या है जब कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के महानिदेशालय का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है; और

(ख) जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान आयुध कारखानों के बोर्ड के अधिकारी कितनी बार सरकारी कार्य पर दिल्ली में आये थे और उनके दौरों तथा अन्य भत्तों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव राज वी० पाटिल): (क) आयुध कारखाना महानिदेशालय, जिसका नाम अब आयुध कारखाना बोर्ड रखा गया है 1941 में शिमला से कलकत्ता ले जाया गया था। सरकार की इस नीति को देखते हुए कि दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को अन्यत्र भेजा जाये और दिल्ली में आवास की कठिन समस्या को देखते हुए आयुध कारखाना बोर्ड को दिल्ली लाना प्रशासनिक हित में नहीं होगा।

(ख) 1980 में आयुध कारखाना बोर्ड के कार्मिकों में 276 बार सरकारी काम से दिल्ली-यात्रा की और इसमें 3.87 लाख रुपए खर्च हुए।

Reports on Administration of Scheduled Areas

9273. **SHRI BHEEKHABHAI**: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are receiving reports from Stable Governors regularly in respect of administration of Scheduled Areas in different State, year-wise;

(b) if so, what action has been taken thereon for the last three years, State-wise and year-wise; and

(c) if not, what action the Central Government propose to take against the defaulting States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) The reports are received regularly.

(b) The reports are examined, and appropriate comments are communicated to the State Governments in such cases as found necessary.

(c) The State Governments are advised to submit the reports timely and regularly.

पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनों की व्यवस्था

9274. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल-लाइनें बिछाने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को भी इस व्यवस्था से लाभ मिलेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?